न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–348 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0–144 / 26
बिहार राज्य बनाम् सुशीला देवी।

सुशीला देवी, पति शिवा चौधरी, लगभग 35 वर्ष,
साकिन–नारायणपुर, थाना–बरबीघा, जिला–शेखपुरा ....आवेदिका।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री गोपाल कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

09.04.2026 काराधीन अभियुक्त सुशीला देवी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 27.03.2026 से काराधीन है। शेखपुरा उत्पाद थाना कांड संख्या–144 / 2026 अंतर्गत प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदिका द्वारा किसी भी न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया। आवेदिका के विरुद्ध पूर्व में उत्पाद थाना सं0–710 / 2025 का आपराधिक इतिहास दर्ज है जिसमें 01. 000 लीटर चुलाई शराब बरामदगी का आरोप था, जिसमें आवेदिका जमानत पर मुक्त है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत 06 लीटर चुलाई शराब का आरोप दर्ज किया गया है, जो कि आवेदिका के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदिका के सचेत कब्जे से किसी भी प्रकार शराब बरामद नहीं किया गया है। आवेदिका के द्वारा इस तरह का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के ख्याल से उक्त आवेदिका को पकड़ लिया गया, जो पुलिसिया रोब का प्रतिफल है। आवेदिका शांतिपूर्ण एवं कानून को मानने वाली सीधी साधी महिला है। आवेदिका महिला है। आवेदिका बिल्कुल निर्दोष महिला है। आवेदक दिनांक 27.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0 सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–348/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–144/26
बिहार राज्य बनाम् सुशीला देवी।

लगातार

09.04.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना दिनांक 26.03.2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि बरबीघा थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव में सुशीला देवी पति शिवा चौधरी के द्वारा अपने घर से चुलाई शराब बिक्री की जा रही है। उक्त सूचना को सत्यापित कर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराकर एक छापामारी दल का गठन किया गया एवं थाना से प्रस्थान किया गया। समय करीब 06:45 पी0एम0 बजे सूचना अनुरूप बरबीघा थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव में सुशीला देवी पति शिवा चौधरी के घर के पास पहुंचे तो देखी कि एक महिला तेजी से घर के पास एक गौशाला के अंदर की ओर जा रही है। उक्त महिला का पीछा करते हुये गौशाला में प्रवेश की तो देखे कि महिला कुछ छुपा रही है। जिसे गौशाला में ही पकड़ लिया गया एवं पकड़ायी गयी महिला का नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना सुशीला देवी पति शिवा चौधरी बताया गया। विधिवत तलाशी के नियमों का पालन करते हुए गौशाला से 02 लीटर क्षमता वाला प्लास्टिक के बोतल एवं 02 लीटर क्षमता वाला प्लास्टिक का पारदर्शी 02 बोतल मिला। बोतल का तलाशी लेने पर एक हरे रंग के 02 लीटर क्षमता वाला प्लास्टिक के बोतल में करीब 02.000 लीटर चुलाई शराब एवं 02 लीटर क्षमता वाला प्लास्टिक का पारदर्शी 02 बोतल दोनों बोतल में 02.000–02.000 लीटर चुलाई शराब बरामद हुआ। कुल चुलाई शराब की मात्रा 06.000 लीटर बरामद एवं जप्त। विधिवत जप्ती सूची के नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार घटनास्थल पर पुरा किया गया एवं गिरफ्तारी ज्ञापन बनाकर गिरफ्तार कर सारी कागजी कार्रवाई नियमों का विधिवत पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आवेदिका दिनांक 27.03.2026 से काराधीन है। मांग की गयी कांड दैनिकी व आपराधिक इतिहास अप्राप्त है। घटनास्थल से करीब 06.000 लीटर चुलाई शराब पाया गया। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार इनके विरुद्ध उत्पाद थाना कांड सं0–710/2025 का आपराधिक इतिहास दर्ज है जिसमें 01.000 लीटर चुलाई शराब बरामदगी का आरोप था। वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदिका की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदिका की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदिका का एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे एवं इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0 सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—348/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—144/26
बिहार राज्य बनाम् सुशीला देवी।

लगातार

09.04.2026

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदिका आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे,
3. आवेदिका के विरुद्ध आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

प्र0— अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।

दिनांक 09—04—2026.

Date Of Judgement/Order	09-04-2026
Date Of Reserving Judgement/Order	09-04-2026
Uploading date	10-04-2026
Uploaded by	Anjalee Ayyar